सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 375/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

रामस्वरूप पुत्र अजमल जाति बलाई निवासी कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर

—वादी

♠ बनाम ♠

1. अजमल पुत्र पोलू
2. मानी पत्नि पोलू
3. पार्वती पुत्र पोलू
4. सरस्वती पुत्री पोलू
5. नर्बदा पत्नि स्व.भूरा
   समस्त जाति बलाई निवासी कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय सावर तहसील सावर जिला अजमेर राज.

———प्रतिवादीगण

8. पप्पू पुत्र रामकिशन
9. धर्मराज पुत्र रामकिशन
10. शंकर पुत्र रामकिशन
11. द्वारका पुत्र रामकिशन
12. मैना पुत्री रामकिशन
13. अनिता पुत्री रामकिशन
14. सायरी पुत्र रामकिशन
15. छगनलाल पुत्र चन्द्रा

समस्त जाति बलाई निवासी कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर

———प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 रा.भू.रा.अधि.

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालेडा कंवर जी में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 रा.भू.रा.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071—74 के खाता नम्बर 376 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1149,1150 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है. खाता स. 4 खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.10 व खाता स. 148 खसरा नम्बर 1145 रकबा 0.05 है. भूमि दर्ज है। उक्त वाद ग्रस्त आराजीयात में ***खाता स. 376 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1149,1150 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है.*** **जो वादी/प्रतिवादीगण के सह खातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात खातास. 4 खसरानम्बर 1144 जर्ये नामान्तकरण स. 854 दिनांक 20.2.2016 बेचान से खातेदार अजमल पिता पोलू हि.1/2 के स्थान पर केता किशनलाल पुत्र कानाराम हि.1/2 के नाम सा.देह खातेदार दर्ज किया । खाता. 148 के खसरानम्बर 1145 खातेदार जगदीश पुत्र रामधन हि.1/2 चन्द्रा वल्द नाथू हि. 1/2 , कौम बलाई खातेदार दर्ज है।** वादी एवं प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण चन्द्रा पुत्र नाथू के वारिसान होना बताया है। वादी द्वारा वादपत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। तथा मौके पर वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.10 है. में से अपना 1/2 हिस्सा जो कि बिना विधिक बंटवारा किये बिना अपने हिस्से का विक्रय कर दिया जो गलत व अवैध है। प्रतिवादीगण वादी को आराजीयात से बेदखल करने फसल को नष्टीभ्रष्ट करने व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व लडाई झगडे करने की ऐलानिया धमकी देते है जिसके कारण उक्त वादपत्र पेश किया गया। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादी/प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी के हिस्से तक उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप दखलदांजी या अतिक्रमण हस्तान्तरित नही करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी स. 1 से 3 व 5 की और से श्री आसिफ हुसेन अधिवक्ता ने पावर पेश किया। प्रतिवादी स. 14 के एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में जवाब हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 1से 3 व 4 की और से श्री आसिफ हुसेन अधिवक्ता ने पावर पेश किया । जवाब पेश नहीं । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्प कालेडा कंवर जी में पेश हुयी। वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का वाद प्राइमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है।

अतः वादी का वाद वाके ग्राम कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071—74 के खाता नम्बर 376 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1149,1150 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है. खाता स. 4 खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.10 व खाता स. 148 खसरा नम्बर 1145 रकबा 0.05 है. भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा या दखलन्दाजी न करे एव ंन ही वादी को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन अवैध रूप से बेदखल करे, तथा न ही उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान,हस्तान्तरण इत्यादि कार्य करें। तहसील सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी